

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा (i) गंगा नदी का जीर्णोद्धार, (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तथा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 24 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर ₹877.65 करोड़ के वित्तीय परिणाम के साथ सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹17,775 करोड़ से बढ़कर ₹30,391 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष 2012-13 में ₹13,960 करोड़ से वर्ष 2016-17 में 81 प्रतिशत से बढ़कर ₹25,272 करोड़ हो गया।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल व्यय में 79 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 20 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2012-13 से 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2015-16 के दौरान ₹21,234 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए ₹24,889 करोड़ थी। इसमें से, 49 प्रतिशत की वृद्धि कर राजस्व (₹10,897.31 करोड़) एवं करेत्तर राजस्व (₹1,345.82 करोड़) के द्वारा हुई। शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों का राज्यांश (₹6,411.57 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹6,234.27 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹3,655 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2017 को, राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) एवं सांविधिक निगम (चार अकार्यरत सा क्षे उ को शामिल करते हुए) थे। 30 सितम्बर 2017 तक, अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ ने ₹7,323.64 करोड़ का कारोबार दर्ज किया था। सा क्षे उ ने ₹10,854.32 करोड़ (प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय एवं दीर्घावधि ऋण) का निवेश किया गया। इस निवेश में 51.95 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी, 12.05 प्रतिशत मुक्त संचय एवं 36 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण निहित था। अंश पूँजी बहिर्गमन वर्ष 2014-15 में ₹171.96 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹93.50 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान/उपादान के लिए ₹192.57 करोड़ का योगदान दिया। सितम्बर 2017 तक प्राप्त 22 कार्यरत राज्य सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, नौ सा क्षे उ ने ₹211.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 13 सा क्षे उ को ₹446.62 करोड़ की हानि हुई।

इस प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में संयोजित किया गया है। अध्याय I से सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र, अध्याय II राजस्व क्षेत्र तथा अध्याय III से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) संबद्ध हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ नीचे सारांशित किये जा रहे हैं।

अध्याय-1

निष्पादन लेखापरीक्षा

गंगा नदी का जीर्णोद्धार

भारत सरकार (भा स) ने गंगा नदी की सफाई के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान (गं ए प) की शुरुआत की थी। तत्पश्चात, गंगा में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और न्यूनीकरण एवं नदी का जीर्णोद्धार करके इसकी प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के लिए एक सशक्त योजना, वित्तपोषण, अनुश्रवण और समन्वय प्राधिकरण के रूप में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (एन जी आर बी ए) की स्थापना (2009) की थी। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सभी सहायक नदियों का जीर्णोद्धार करने के लिए एक सम्पूर्ण अवधारणा के रूप में नमामि गंगे कार्यक्रम का अनुमोदन (13 मई 2015) किया गया। गंगा नदी के जीर्णोद्धार से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम की नियोजन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण तन्त्र में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गये हैं:

मुख्यांश

वार्षिक योजना के संचालन में, गंगा के लिए वानिकी घटकों हेतु अनुमोदित कुल योजना आकार, वर्ष 2016-17 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में नियोजित क्षेत्र का मात्र 4.66 प्रतिशत था।

[प्रस्तर 1.2.6.5 (i)]

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक निधियां उपयोग न करने के कारण 25.46 से 58.71 प्रतिशत तक अव्ययित पड़ी हुई थीं।

[प्रस्तर 1.2.7.1]

सात जिलों की 132 ग्राम पंचायतों में 265 गाँव को खुले में शौच से मुक्ति का विभाग का दावा त्रुटिपूर्ण पाया गया क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन किये गये कुल 1,143 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों में से 41 का निर्माण नहीं किया गया था तथा 34 निर्माणाधीन थे। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण में भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की गयी थी।

[प्रस्तर 1.2.8.1]

नगरपालिका के कचरे को अंधाधुंध रूप से पहाड़ियों के ढलान पर फेंका जा रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.2]

कार्यदायी संस्थाओं के मध्य नियोजन एवं समन्वय की कमी के कारण देवप्रयाग एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र का कम उपयोग किया गया था।

[प्रस्तर 1.2.8.3 (अ)]

प्राथमिकता वाले कस्बों में चिन्हित 112 नालों में से 65 नालों को वर्तमान तक बन्द नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, प्रतिदिन 26.292 मिलियन लीटर प्रतिदिन अनुपचारित मल गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (अ)]

हरिद्वार एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र की क्षमता कस्बे के अपशिष्ट के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप, अनुपचारित मल नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (ब)]

वन विभाग वर्ष 2016-17 में चार घटकों में से तीन घटकों के लिए, उन्नत मृदा कार्य के प्रकरण में 3.50 प्रतिशत से लेकर शहरी भूनिर्माण के प्रकरण में 87 प्रतिशत तक, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा।

[प्रस्तर 1.2.8.7]

दस चयनित कस्बों में से मात्र तीन कस्बों में जल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किये गये थे।

[प्रस्तर 1.2.10.1]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

अप्रैल 2009 में, भारत सरकार (भा स) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा ग्रा पे का) की शुरुआत की गई, जिसमें विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण रखते हुए पंचायती राज संस्थानों (पं रा सं) और सामुदायिक संगठनों को शामिल करते हुए पेयता, पर्याप्तता, सुविधा, समर्थता एवं निष्पक्षता के अनुसार जल उपलब्धता कायम करना सुनिश्चित किया गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग (पेयजल विभाग) क्रियान्वयन संस्था है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के नियोजन, संस्थागत तन्त्र, क्रियान्वयन, वित्त प्रबंधन एवं अनुश्रवण में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार थे:

मुख्यांश

ग्राम और जिला जल सुरक्षा योजनाएँ जिसमें जन सांख्यिकीय, भौतिक विशेषताएँ, जल स्रोतों, उपलब्ध पेयजल के बुनियादी ढाँचे इत्यादि सम्मिलित होते हैं, नहीं बनाए गये थे। आगे, कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा देने हेतु विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी।

[प्रस्तर 1.3.6.1 (अ) एवं (ब)]

राज्य में आवश्यक संस्थागत तन्त्र में कमी पायी गयी जैसे राज्य जल और स्वच्छता मिशन को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित नहीं किया गया था, महत्वपूर्ण समितियाँ जैसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ एवं स्रोत खोजी समिति का गठन नहीं किया गया था।

[प्रस्तर 1.3.6.2 (अ) से (य)]

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में, राज्य सरकार ने अपना राज्यांश क्रमशः ₹62.84 करोड़ एवं ₹57.85 करोड़ अवमुक्त नहीं किये। सकल वित्तीय प्रबंधन में भी कमियाँ पायी गयीं जैसे 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए निधियों का आवंटन कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुरूप नहीं था।

[प्रस्तर 1.3.7.2]

वर्ष 2017 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति एवं घरेलू संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी थी। राज्य 50 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 14.71 प्रतिशत बसावटों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल उपलब्ध कराने में सक्षम था।

[प्रस्तर 1.3.8.2]

पाइप जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने की दर न्यून दर से प्रभावित हुयी तथा ₹185.45 करोड़ लागत की 20 योजनाओं को पूर्ण होने में 5 से 12 वर्ष का विलंब हुआ।

[प्रस्तर 1.3.8.3]

उत्तराखण्ड जल निगम स्थायित्व घटक हेतु अपर्याप्त निधियों के आवंटन/व्यय के औचित्य को प्रदान करने में असफल रहा। स्थायित्व घटक के अंतर्गत व्यय मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया जैसे टिहरी जिले में लघु पेयजल योजनाओं एवं पानी की टंकियों के निर्माण में ₹42.01 लाख व्यय किया गया, जो कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।

[प्रस्तर 1.3.8.5]

अनुश्रवण तन्त्र में कमियाँ थीं जैसे इस कार्य का निष्पादन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया था, जबकि यह कार्य राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाना था, जो कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नामित संस्था थी। इसके अतिरिक्त, आँकड़ों की अपेक्षित जाँच एवं सत्यापन के अभाव में एकीकृत प्रबंधन सूचना तन्त्र के आँकड़ों में विश्वसनीयता का अभाव था।

[प्रस्तर 1.3.9.3 से 1.3.9.5]

अनुपालन लेखापरीक्षा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु किया गया नियोजन और क्रियान्वयन अपर्याप्त था क्योंकि मार्च 2017 तक 546 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और 4,485 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः केवल 63 और 50 का ही निर्माण किया गया था। मई 2017 में खुले में शौच मुक्त के रूप में राज्य की घोषणा सही नहीं थी। भारत सरकार के पोर्टल पर लाभार्थी आँकड़ों को अद्यतन करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया। वित्तीय प्रबंधन भी अपर्याप्त पाया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹10.58 करोड़ का अपना अंश जारी नहीं किया था।

[प्रस्तर 1.4]

किराये पर लिये गये वाहनों पर संदिग्ध गबन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दावों की प्रमाणिकता जात किये बिना भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप किराए पर लिए गये वाहनों पर ₹ 1.25 करोड़ का संदिग्ध गबन।

[प्रस्तर 1.6]

₹ 1.69 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा वित्तीय मापदण्डों की अवहेलना कर निर्माण कार्य को उच्च दरों पर प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ का व्ययाधिक्य किया गया।

[प्रस्तर 1.7]

अनाधिकृत व्ययाधिक्य

अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा वित्तीय नियमों के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन पत्र में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹ 0.59 करोड़ का अनाधिकृत रूप से व्ययाधिक्य किया गया।

[प्रस्तर 1.8]

₹ 0.70 करोड़ का निष्फल व्यय

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा मार्ग के सुदृढीकरण हेतु ₹ 2.83 करोड़ का कार्य आवंटित किया गया। जिसके फलस्वरूप, बाद में ₹ 0.70 करोड़ व्यय करने के उपरान्त कार्य को रोकना पड़ा। परिणामस्वरूप, यह व्यय निष्फल हुआ।

[प्रस्तर 1.9]

अनुचित व्ययाधिक्य

अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत द्वारा वाटर बाउण्ड मैकेडम के स्थान पर महंगी सामग्री (बिटुमिन्स मैकेडम) का उपयोग करने के कारण ₹ 0.80 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य किया गया।

[प्रस्तर 1.10]

उद्देश्यों की पूर्ति न होना

प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त होने के नौ वर्ष पश्चात भी सेतु के निर्माण में विलंब के कारण असम्बद्ध गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। अभी तक के कार्य पर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा पहले ही ₹ 1.09 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

[प्रस्तर 1.11]

निष्फल व्यय

दोषपूर्ण संरेखण के कारण पेयजल योजना लक्षित आबादी तक पेयजल आपूर्ति करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी द्वारा ₹1.42 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, लक्षित आबादी को पानी उपलब्ध करने के लिए एक ट्यूबवेल के निर्माण पर ₹6.50 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया।

[प्रस्तर 1.12]

नगर निगम देहरादून एवं हरिद्वार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम (न नि) देहरादून एवं हरिद्वार के पास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेत क्रियाओं की रूपरेखा, प्रस्तुतीकरण और समयबद्ध क्रियान्वयन की कोई कार्य योजना नहीं थी। दोनों न नि में आधारभूत संरचना पर अत्यल्प धनराशि व्यय किये जाने के कारण अभिप्रेत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। हरिद्वार में ₹1.21 करोड़ की लागत के नौ वाहन जून 2013 से व्यर्थ खड़े थे। न नि देहरादून की निकाय सीमा के अंतर्गत प्लांट की क्षमता 200 मी टन प्रतिदिन निर्धारित थी जबकि वास्तव में 257 मी टन प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के लागू होने के 16 वर्षों बाद भी दोनों नगर निगम प्रक्रिया इकाई की स्थापना में असफल थे। परिणामस्वरूप, नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया। दोनों न नि में उपकरणों, वाहनों, कूड़ेदानों एवं मानवशक्ति की कमी के साथ खराब अनुश्रवण तंत्र का खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान रहा।

[प्रस्तर 1.13]

अध्याय-II

अनुपालन लेखापरीक्षा

अर्थदण्ड का अनारोपण

वाणिज्य कर विभाग द्वारा के बि क अधिनियम की धारा 10-क के अंतर्गत ₹1.21 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया जबकि निर्धारितियों द्वारा ऐसे माल रियायती प्रपत्र पर क्रय किये गये थे, जिसके लिए वे पंजीकृत नहीं थे।

[प्रस्तर 2.2]

प्रपत्र-11 का अनाधिकृत उपयोग

माल को रियायती दर पर क्रय करने हेतु घोषणा प्रपत्र-11 के अनाधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹26.61 लाख के कर के न्यूनारोपण के कारण राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹94.95 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

[प्रस्तर 2.3]

कर का न्यूनारोपण

वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर की गलत दर लागू करने से कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 89.52 लाख की राजस्व क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.4]

अर्थदण्ड का अनारोपण

व्यापारियों द्वारा विलंब से कर जमा करने के बावजूद भी वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 15.96 लाख की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

[प्रस्तर 2.5]

कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण कर का अनारोपण तथा माल के वास्तविक अभिग्रहण मूल्य को छिपाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.59 लाख की राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 12.57 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

[प्रस्तर 2.6]

राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति

आसवनियों द्वारा दैनिक स्थापित क्षमता से अधिक और बारिश के मौसम के दौरान मदिरा का उत्पादन करके पर्यावरणीय मापदण्डों का पालन नहीं किया गया, जिस पर विभाग द्वारा ₹ 346.53 करोड़ के जुर्माने का आरोपण नहीं किया गया। न्यूनतम उत्पादन, किण्वन और आसवन क्षमता का नियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राप्त न करने और पारगमन के दौरान टोटल रिड्यूसिंग शुगर और शीरे की हानि के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ के आबकारी राजस्व की हानि हुई। विभाग मदिरा की निर्धारित तीव्रता से उच्च तीव्रता पर ₹ 2.46 करोड़ की ड्यूटी आरोपित करने में विफल रहा। आसवन पर छीजन को गलत अनुमन्य किये जाने और बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा के लाइसेंस शुल्क के समायोजन अन्य कारक हैं जिनके कारण आबकारी राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.7]

स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा सही दरों को लागू न किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.05 लाख राजस्व की क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.8]

अर्थदण्ड का न्यूनारोपण

खनन विभाग द्वारा खनिज के अवैध खनन/परिवहन के अपराधों में गलत दरों को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.75 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.9]

रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण

खनन विभाग द्वारा खनन लाईसेन्स पर संशोधित दरों को लागू न करने और ईट भट्टों का पता न लगाने के कारण ₹ 39.23 लाख की रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.10]

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

अभिकरण की प्रमाणिकता सत्यापित किये बिना कार्य को सौंपा जाना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम ₹ 22.29 लाख व्यय करने के पश्चात भी वन प्रबंधन प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं कर सका।

[प्रस्तर 3.2]

कर्मचारी भविष्य निधि का अनियमित योगदान

उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने कर्मचारियों के अनिवार्य 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की क्षतिपूर्ति करते हुए ₹ 18.79 लाख का अतिरिक्त व्यय किया, जिसे अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को वहन करना था।

[प्रस्तर 3.3]

निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा करने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एक योजनाबद्ध तरीके से परियोजना को निष्पादित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, लागत में ₹ 38.10 करोड़ की वृद्धि को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि यह नियंत्रणीय कारकों के कारण थी। निगम को परियोजना लागत का ₹ 34.53 करोड़ का एक अतिरिक्त घटक भी छोड़ना पड़ा और इससे टैरिफ निर्धारण के लिए अपने दावे को कम करना पड़ा।

[प्रस्तर 3.4]

उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेने में विफलता के कारण हानि

इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी लेने में विफल रहने के कारण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ₹ 2.18 करोड़ की हानि का दावा नहीं कर सका।

[प्रस्तर 3.5]

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना

समय से नये संयोजनों को जारी करने में असफलता के कारण उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) पर ₹ 6.52 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया। छः खण्डों में यू पी सी एल की वितरण हानि ₹ 240.91 करोड़ थी। यू पी सी एल के सतर्कता दल द्वारा 14 वितरण खण्डों में मात्र 0.18 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत तक उपभोक्ताओं की जाँच की गई। यू पी सी एल द्वारा, अतिरिक्त प्रतिभूति राशि ₹ 58.60 करोड़, प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि ₹ 2.87 करोड़ एवं विलंब भुगतान अधिभार राशि ₹ 132.58 करोड़ वसूल नहीं की जा सकी।

[प्रस्तर 3.6]

